

**Government of Bihar**  
**Public Health Engineering Department**  
**Public Health Engineering Division, Motipur (Muzaffarpur)**  
**SHORT TENDER NIT No –3R3/PHED/MOTIPUR/2025-2026**  
(Through e-procurement mode on [www.eproc2.bihar.gov.in](http://www.eproc2.bihar.gov.in))

1	Designation and Address of Advertiser	Executive Engineer. P.H. Division, Motipur.
2	Date of issue of Tender Notice	18.06.2026
3	Period of sale (downloading) of tender Bid Document	25.06.2026 to 28.06.2026 up to 15:00 Hrs. through <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a>
4	Date, time & place of pre-bid meeting	26.06.2026 at 11.30 hrs. hrs in the Office of Executive Engineer, P. H. Division, Motipur.
5	Last date and time of receipt (uploading) of tender	29.06.2026 up to 16:00 Hrs on <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a>
6	Last date and time of submission of hard copy of EMD (in original).	29.06.2026 up to 16:00 hrs in the Office of:- A . Executive Engineer of P.H. Division, Motipur B. Superintending Engineer, PH Circle, Muzaffarpur. C. Zonal Chief Engineer, PHED Zone Muzaffarpur.
7	Date and time of opening of technical bid	29.06.2026 at 17:00Hrs on <a href="http://www.eproc2.bihar.gov.in">www.eproc2.bihar.gov.in</a>
8	Date and time of opening of financial bid	To be informed later after the approval of technical bid.

**9. Details of works:**

Group No	Name of Work	Estimated Cost (in Lakh)	Amount of Earnest Money (in Lakh)	Cost of Tender Document (non-refundable) in Rs.	BSEDC Bid Processing Fee (in Rs.)	Completion Period (in months)
1	2	3	4	5	6	7
4R1	CONSTRUCTION OF PROPOSED OFFICE OF A.E BUILDING UNDER P. H. SUB-DIVISION, SARAIYA IN THE DISTRICT OF MUZAFFARPUR FOR THE YEAR 2025-2026	72.87456	1.4600	10,000.00	As per E-proc2	07 Months

10. निविदादाता को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से समुचित श्रेणी में निबंधन का होना आवश्यक है। उक्त निबंधन एवं कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र को निविदा के कागजातों के साथ अपलोड काना आवश्यक है।
11. यह कार्य F<sub>2</sub> के नियम शर्तों पर आधारित होंगे।
12. वैसे सम्वेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे (Dibar) जिन पर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित चल रहा है या जो अवंटित कार्य एकरारनामा नहीं किये है या फिर शुरू नहीं किये है।
13. निविदा के समय सम्वेदक को निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेद्य विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक में 100.00 (एक सौ) रुपये का स्टाम्प एवं 5.00 (पाँच) रुपये के एडवोकेट वेलफेयर फण्ड के स्टाम्प पेपर पर इस आष्य का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे किसी भी विभाग द्वारा निविदा से Debar(वंचित)/Blacklisted (कालीसूची में दर्ज) नहीं किये गये है एवं उनका कोई कार्य Rescind नहीं हुआ है, जिसकी मूल प्रति अग्रधन की राशि के साथ जमा करना होगा।
14. एकरारनामा के पूर्व अद्यतन लेबर लाईसेन्स तथा भुगतान के पूर्व अद्यतन वाणिज्य कर सफाया प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
15. निविदा के साथ सम्वेदक द्वारा संलग्न किये जाने वाले सभी अभिलेख एवं प्रमाण-पत्रों पर सम्वेदक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

5. निविदा केवल ई-निविदा पद्धती के अनुसार वेबसाईट (<http://www.eproc2.bihar.gov.in/>) पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा से संबंधित जानकारी एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड संख्या:-25, श्रीकृष्णा नगर, पटना-800001 के दूरभाष संख्या:-0612-2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।
17. ई-निविदा में भाग ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सम्वेदकों को (<http://www.eproc2.bihar.gov.in/>) पर पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें अपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जाएगी। यह उन्हें वेबसाईट (<http://www.eproc2.bihar.gov.in/>) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई-टेडर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यात प्रदान करेगा।
18. निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाईट से ही प्राप्त/डाउनलोड किया जा सकेगा।
19. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
20. Bid Processing Charge+Service Tax का भुगतान सम्वेदक को Internet Payment Gateway अथवा Internet Banking or NEFT/RTGS के माध्यम से 5 6 के अनुसार BSEDC के Bid Processing Fee Account में Credit करना होगा।
21. e-proc2 प्रणाली के तहत मात्र Online विधि से समर्पित अग्रधन (EMD) ही स्वीकार किये जाएंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा करना आवश्यक हो तो मात्र बैंक गारन्टी (BG) ही स्वीकार किया जायेगा। सम्वेदक निविदा कागजात के साथ बैंक गारन्टी (BG) को Scan कर उपलोड करंगे तथा भौतिक रूप में संबंधित कार्यालय में जमा करेगे। E-proc2 में परिमाण विपत्र की राशि Internet Payment Gateway के माध्यम से लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि BG के रूप में दी जाती है तो BG कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के नाम से भारतीय Schedule बैंक/भारतीय राष्ट्रीय बैंक से निर्गत होना आवश्यक है। इस प्रणाली के तहत बैंक गारन्टी (BG) का Online Verification किया जाएगा। परिमाण विपत्र का मूल्य Online O-gras के माध्यम से मान्य नहीं हागा। सभर्त बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारन्टी स्वीकार किया जाएगा।
22. सभी मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति का रसीद अथवा अग्रधन के रूप में जमा किए जाने योग्य बैंक गारन्टी (BG) की मूल प्रति अथवा Online Mode में जमा किए गये राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अथवा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर अथवा मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।
23. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अथवा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर अथवा मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर से किसी भी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
24. निविदादाता को निम्नलिखित मापदण्ड पूरा करना होगा:-
  - a) पिछले 03 वर्षों के दौरान किसी भी 01 वर्ष में न्युनतम टन ओभर परिमाण विपत्र के राशि का 50 प्रतिशत के बराबर होना अनिवार्य है।
  - b) पिछले 03 वर्षों के दौरान किसी 01 वर्ष में Similar Nature कार्य परिमाण विपत्र के राशि का 25 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
25. परिमाण विपत्र के 10 प्रतिशत राशि तक की क्रेडिट सुविधा प्रदान करने वाली किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
26. परिमाण विपत्र की राशि का 25 प्रतिशत निवेश करने की Self Declaration संलग्न करना अनिवार्य है।
27. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
28. परिमाण-विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति पश्चात् घट/बढ़ सकती है। फलस्वरूप अग्रधन की राशि घट/बढ़ सकती है। अन्तिम रूप से स्वीकृत परिमाण विपत्र के अनुसार अग्रधन देना होगा।
29. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत श्रमिकों के लिए शेष के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जाएगा।
30. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, जी०एस०टी०, आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
31. निर्माण कार्य में TATA, SAIL, VIZAG अथवा Shyam Steel Industrie का Steel का प्रयोग होगा।
32. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित सम्वेदक को निविदा के साथ Certificate of incorporation issued by Registrar of Company, Bihar, Memorandum of Association and Article of Association संलग्न करना अनिवार्य होगा।
33. Defeat Liability Period तीन वर्षों तक का होगा।

4. निविदा में निविदादाता को एक Consultant के साथ Mutual MOU करना अनिवार्य होगा जिसके पास पूर्व से (विगत 5 वर्ष में) सरकारी भवनों का Design एवं Supervision करने का अनुभव हो, निविदा दाता को उक्त Consultant का Pan, GST एवं अनुभव प्रमाण-पत्र को निविदा के साथ Upload करना अनिवार्य होगा।
35. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या:-447(S) दिनांक:-16.01.2020 एवं ज्ञापांक:-449(S) दिनांक:-16.01.2020 द्वारा प्रतिषत दर निविदा (in Percentage Rate Tender) पद्धती में प्राप्त की जाने वाली सभी निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करने हुए परिमाण विपत्र दर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है। इस आलोक में विभागीय पत्रांक:-6ए/मुक०-1-1014/21-22 पटना दिनांक:-04.01.2023 के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद CWJC No.9941/2022 बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश के अनुरूप होगी।
36. इस निविदा का विज्ञापन वेबसाईट (<http://www.eproc2.bihar.gov.in/>) पर देखा जा सकता है।
37. "हर घर नल जल" योजना एवं अन्य के तहत आवंटित कार्य में बकाया विधुत विपत्र की भुगतान संबंधित (कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता विधुत प्रमंडल द्वारा) निर्गत अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा में तकनीकी बीड से असफल माना जायेगा।
38. कार्य की विशिष्टियों अथवा निविदा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार की पृच्छा या स्पष्टीकरण प्रीबिड मिटिंग की तिथि को या उससे पूर्व की जा सकती है।

218.06.026  
कार्यपालक अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर।  
18/6/23